तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक/प्रशा/2/राज/D/2014/1546 /भोपाल, दिनांक 21/11/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/स्वशासी
पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
म0प्र0 ।

विषयः– **तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालय में पदस्थ व्याख्याताओं को कैरियर संवर्धन योजनांतर्गत स्थानन करने के संबंध में।**

—00—

म0प्र0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 1–4/2010/बयालीस (1), दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 13 मार्च, 2010 में प्रकाशित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिये वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हतायें] विनियम 2010 अधिसूचना दिनांक 05 मार्च, 2010 के अनुसार शासकीय, स्वशासी पोलीटेकनिक, महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित वेतनमान, कैरियर संवर्धन स्कीम इत्यादि का लाभ प्रदान किया गया है।

2. कैरियर संवर्धन योजना का विस्तृत विवरण एवं शर्तें, भारत सरकार के राजपत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित हुए है। म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा म0प्र0 के राजपत्र दिनांक 07 सितम्बर 2013 में मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवाभर्ती नियम–2004 में संशोधित अनुसूची–3 में "कैरियर संवर्धन स्कीम" योजना को तद्नुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

3. शासकीय संवर्ग में कार्यरत् ऐसे शिक्षक जो "कैरियर संवर्धन स्कीम" के तहत् स्थानन का लाभ लेना चाहते हैं, वे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, अपना आवेदन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य के माध्यम से संचालनालय तकनीकी शिक्षा को प्रेषित करे, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

4. सेवाभर्ती नियम–2004 के तहत नियमित आधार पर नियुक्त ऐसे शिक्षक जो "कैरियर संवर्धन स्कीम" के तहत् स्थानन का लाभ लेना चाहते हैं, वे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, अपना आवेदन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य के माध्यम से संस्था की प्रबंधन समिति तथा शासी निकाय/सामान्य परिषद के समक्ष नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे।

कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्य प्रदेश